"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303]　　　रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 नवम्बर 2010—कार्तिक 25, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-19/18/2010.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत भैरमगढ़, जिला-बीजापुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	12	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	-	-
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	श्री पण्डवाल वार्ड
		02	श्री कोंडराज देव वार्ड
		04	श्री भैरम बाबा वार्ड
		09	महात्मा गांधी वार्ड
		15	श्री गणेश वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	03	श्री शिवमंदिर वार्ड
		06	श्री हनुमान वार्ड
		07	रानी दुर्गावती वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	-	-
7.	महिला वर्ग	05	श्री चिकटराज वार्ड
		13	डॉ. विश्वेश्वरैया वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-1-19/18/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-19/18/2010 दिनांक 16-11-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

Raipur, the 16th November 2010

NOTIFICATION

No. F-1-19/18/2010.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Bhairamgarh, Distt. Bijapur is published as required under Rules 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	12	Dr. Radhakrishnan Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	-
3.	Scheduled Tribes	01	Shri Pandwal Ward
		02	Shri Kondraj Dev Ward
		04	Shri Bhairambaba Ward
		09	Mahatma Gandhi Ward
		15	Shri Ganesh Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Scheduled Tribes (Female)	03 06 07	Shri Shivmandir Ward Shri Hanuman Ward Rani Durgawati Ward
5.	Other Backward Class	-	-
6.	Other Backward Class (Female)	-	-
7.	Female	05 13	Shri Chikatraj Ward Dr. Vishweshwaraiya Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.